कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्था./2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा श्री दया राम यादव, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छाजा की नांगल जिला सीकर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय–राजासर पंवरान जिला चूरू किया गया था, जिसके विरूद्ध श्री दया राम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13614/2018 दया राम यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में श्री दया राम यादव, प्रधानाचार्य माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्याधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छाजा की नांगल जिला सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे एवं श्री रमेश चन्द यादव का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्याधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजासर पंवरान जिला चूरू किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/दयाराम/याचिका/13614/2018 दिनांक 02/11/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर/चूरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, सीकर/चूरू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 27.09.2018 द्वारा श्री ओम प्रकाश स्वामी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैतपुरा जिला चूरू का स्थानान्तरण राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय–पुनरास, तारानगर जिला चूरू किया गया था जिसके विरूद्ध श्री ओम प्रकाश द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 15310/2018 ओम प्रकाश स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27.09.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश स्वामी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में श्री ओम प्रकाश स्वामी, प्रधानाचार्य, माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्याधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैतपुरा जिला चूरू में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे एवं श्री पवन कुमार, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा जिला चूरू का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्याधीन राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनरास, तारानगर जिला चूरू किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/ओमप्रकाश/याचिका/15310/2018 दिनांक 02/11/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, चूरू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)